न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— रामचन्द्र खटीक (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 33/2019

वादी

श्रीमति विमलादेवी पुत्री अणदाराम
जाति मेघवाल निवासी ओलवी
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र उरजाराम
2. घीसाराम पुत्र उरजाराम
3. पुकाराम पुत्र उरजाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. श्रीमति पुनी पुत्री उरजाराम पत्नी श्री मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी खारी कलॉ तहसील व जिला जोधपुर
5. श्रीमति सुकड़ी पत्नी मंगलाराम
6. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम
7. भुण्डाराम पुत्र मंगलाराम
8. मुन्नाराम पुत्र मंगलाराम
9. महीपालराम पुत्र मंगलाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
10. इन्द्रा पुत्री मंगलाराम पत्नी श्री सूजाराम जाति मेघवाल निवासी नयागांव तहसील सोजत सिटी जिला पाली
11. लीलो पुत्री श्री मंगलाराम पत्नी श्री पोलाराम जाति मेघवाल निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
12. सोहनराम पुत्र फूलीदेवी जाति मेघवाल निवासी पडासला कला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
13. लीला पुत्री फूलीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ी कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
14. निम्बुड़ी पुत्री फूलीदेवी पत्नी गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी रेपड़ावास तहसील सोजत सिटी, जिला पाली
15. गुड्डी पुत्री फूलीदेवी पत्नी राजूराम जाति मेघवाल निवासी चाड़वास तहसील सोजत सिटी जिला पाली
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 16 सरकारी पैरोकार

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

निर्णय   दिनांक :— 15.09.2020

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 117 बीघा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/7 हिस्सा वादी का तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 11 का तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 से 15 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि पहले वादी के दादा उरजाराम की खातेदारी की थी। उरजाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके लड़के मांगीलाल, घीसाराम, पुकाराम, मंगलाराम, अणदाराम तथा दो पुत्रिया पुनी व फूली की खातेदारी में दर्ज की गयी। जिसमें से खातेदार मंगलाराम, अणदाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसकी पत्नी सुकड़ी व चार पुत्र भंवरलाल, भुण्डाराम, मुन्नाराम, महीपालराम तथा दो पुत्रिया इन्द्रा व लीला के नाम से खातेदारी दर्ज की गयी। अणदाराम के उतराधिकारी उसकी पुत्री विमलादेवी तथा उसकी पत्नी सोनकी थी, लेकिन अणदाराम के देहान्त के बाद उसकी पत्नी सोनकी ने ग्राम रामासनी बाला तहसील सोजत सिटी जिला पाली के निवासी धोकलराम मेघवाल के साथ नाता विवाह कर लिया था, इस कारण अणदाराम की एकमात्र उसकी जायज संतान उसकी पुत्री विमलादेवी के नाम से खातेदारी दर्ज की गयी। फूली के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके लड़के सोहनराम तथा तीन पुत्रिया लीला, निम्बुड़ी, गुड्डी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 15 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 15 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादी अपने 1/7 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी मे दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को पाबन्द करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिये दावा पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 117 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/7 हिस्से की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 17.03.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 103 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु का प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया जिसके तहत ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 103/1 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 308/1 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382/1 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 524/1 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा वादी विमलादेवी पुत्री अणदाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 103 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 382 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 100 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 मांगीलाल, पुकाराम, घीसाराम पि. उरजाराम 1/2 हिस्सा, पुनी पुत्री उरजाराम 1/6 हिस्सा, सुकड़ी पत्नी मंगलाराम 1/42 वॉ हिस्सा, इन्द्रा, लीला पुत्रिया मंगलाराम 1/21 हिस्सा, भूण्डाराम, भंवरलाल, मुन्नाराम, महीपालराम पिसरान मंगलाराम 2/21 वॉ हिस्सा, गुड्डी, निम्बूडी, लीला पुत्रिया फूलीदेवी 1/8 हिस्सा, सोहनराम पुत्र फुलीदेवी 1/24 वॉ हिस्सा सभी जातियान मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

वादी

श्रीमति विमलादेवी पुत्री अणदाराम
जाति मेघवाल निवासी ओलवी
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र उरजाराम
2. घीसाराम पुत्र उरजाराम
3. पुकाराम पुत्र उरजाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. श्रीमति पुनी पुत्री उरजाराम पत्नी श्री मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी खारी कलॉ तहसील व जिला जोधपुर
5. श्रीमति सुकड़ी पत्नी मंगलाराम
6. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम
7. भुण्डाराम पुत्र मंगलाराम
8. मुन्नाराम पुत्र मंगलाराम
9. महीपालराम पुत्र मंगलाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
10. इन्द्रा पुत्री मंगलाराम पत्नी श्री सूजाराम जाति मेघवाल निवासी नयागांव तहसील सोजत सिटी जिला पाली
11. लीला पुत्री श्री मंगलाराम पत्नी श्री पोलाराम जाति मेघवाल निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
12. सोहनराम पुत्र फूलीदेवी जाति मेघवाल निवासी पड़ासला कला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
13. लीला पुत्री फूलीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ी कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
14. निम्बुड़ी पुत्री फूलीदेवी पत्नी गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी रेपड़ावास तहसील सोजत सिटी, जिला पाली
15. गुड्डी पुत्री फूलीदेवी पत्नी राजूराम जाति मेघवाल निवासी चाड़वास तहसील सोजत सिटी जिला पाली
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 33/2019

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक :– 15.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 16 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 103/1 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 308/1 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 382/1 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 524/1 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा वादी विमलादेवी पुत्री अणदाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 103 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 382 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 524 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 100 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 मांगीलाल, पुकाराम, घीसाराम पि. उरजाराम 1/2 हिस्सा, पुनी पुत्री उरजाराम 1/6 हिस्सा, सुकड़ी पत्नी मंगलाराम 1/42 वॉ हिस्सा, इन्द्रा, लीला पुत्रिया मंगलाराम 1/21 हिस्सा, भूण्डाराम, भंवरलाल, मुन्नाराम, महीपालराम पिसरान मंगलाराम 2/21 वॉ हिस्सा, गुड्डी, निम्बूडी, लीला पुत्रिया फूलीदेवी 1/8 हिस्सा, सोहनराम पुत्र फुलीदेवी 1/24 वॉ हिस्सा सभी जातियान मेघवाल सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.09.2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner